भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2019

(2019 का 9)

संख्या 116–6/2017– एनएसएल–II (वॉल्यूम III) –––भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

1. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) को निम्नलिखित उप–विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) ये विनियम दिनांक 16 दिसंबर, 2019 से लागू होंगे।"

(यू. के. श्रीवास्तव)
सचिव–प्रभारी

Secretary-I/c
Telecom Regulatory Authority of India
Mahanagar Doorsanchar Bhawan
Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi-2

टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन इस अधिसूचना के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के मूल विनियमों के लिए 13 दिसम्बर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जारी किया गया था।
2. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की तैयारियों को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करने की समय–सीमा को 13 जून, 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 किया गया था और जो बाद में दिनांक 27 सितंबर, 2019 को अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर, 2019 से बढ़ाकर 11 नवंबर, 2019 किया गया था।
3. यद्यपि, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के तहत दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र द्वारा जारी विस्तृत 'परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रियाओं' को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा तकनीकी कारणों से निर्धारित समय में सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं किया जा सका है। इसलिए प्राधिकरण ने इन विनियमों को लागू करने की समय–सीमा को 11 नवंबर, 2019 से बढ़ाकर 16 दिसंबर, 2019 करने का निर्णय लिया है।
4. अतः दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) में संशोधन किया गया है।

Secretary-I/c
Telecom Regulatory Authority of India
Mahanagar Doorsanchar Bhawan
Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi-2